UPBD010034112022

न्यायालय–सेशन न्यायाधीश, बांदा
जमानत प्रार्थनापत्र संख्या–1575 सन् 2022
CNR- UPBD01-003411-2022

आलोक पुत्र बीरन, निवासी पीरल्लीपुर, थाना–चुनार, जिला–मिर्जापुर।

प्रति

उ0प्र0 राज्य

अपराध संख्या–44 सन् 2022
धारा–457, 380, भा.दं.सं.
थाना–बिसण्डा, जिला– बांदा।

आदेश

प्रस्तुत प्रथम जमानत प्रार्थनापत्र आवेदक/अभियुक्त आलोक की ओर से अपराध संख्या–44 सन् 2022, अंतर्गत धारा– 457, 380, भारतीय दण्ड संहिता, थाना बिसण्डा, जिला बांदा में जमानत हेतु संस्थित किया गया है।

प्राथमिकी के अनुसार वादी श्री जगतपाल गुप्ता ने दिनांक 06.02.2022 को समय 16:52 बजे थाना बिसण्डा, जिला बांदा में इस आशय की प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीकृत कराई कि दिनांक 05.02.2022 को प्रार्थी अपने दुकान, मकान में ताला लगाकर शादी के निमंत्रण में खपटिहा कला सपरविार चला गया था। दिनांक 05.02.2022 को रात्रि में समय लगभग 2 बजे वापसी घर आया, सामने से सटर खोल कर मकान के अन्दर गया तभी प्रार्थी के कमरे का दरवाजा खुला पडा हुआ था व दरवाजे की कुण्डी टूटी हुयी थी व दो बक्शो का ताला टूटा पडा हुआ था, व अन्य दो कमरो का ताला सही से लगा पाया गया। कमरे के अन्दर रखे बक्शो को देखने पर ज्ञात हुआ कि एक छोटे बक्शे नकद रखा रुपया 3 लाख अस्सी हजार के लगभग गायब था व दूसरे बडे बक्शे में कपडो के साथ रखी ज्वेलरी से भरा बक्शा गायब था। प्रार्थी ने चोरी होने की सूचना रात्रि में मोहल्ले मे दी व लोगो को बुलाया लोग मौके पर आये भी, प्रार्थी रात्रि के समय लगभग 3 बजे पुलिस चौकी ओरन में जाकर मौखिक सूचना दी, रात्रि के समय पुलिस चौकी द्वारा सहायता मिली तफ्तीश में मकान की पूर्वी साइड की दीवाल पर बांस की निशानी लगी बरामद हुयी व पिलर से बंधी साडी पायी गयी व सुबह के समय चोरी करने में इस्तेमाल की गयी निशानी के पास ही टायर लीवर जो कि पंचर टायर खोलने में प्रयोग

किया जाता है। प्राप्त हुआ था, टायर लीवर देखने पर सोनू पुत्र बाबू यादव निवासी ओरन का लगा चोरी मे इस्तेमाल की गयी, नसेनी डिस्टेम्बर का कलर लगा हुआ था। शक के आधार पर सुबह 08:30 बजे के लगभग सोनू के घर गये तो, सोते हुये मिला, उसके चेहरे पर रगड समझ मे आयी व कुछ कलर के निशान समझ आये है। सोनू पुत्र बाबू यादव आदि व्यक्तियों पर संदेह है। प्रार्थी को ग्यारह लाख रुपये की अर्पूणनीय क्षति हुयी है।

आवेदक/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क प्रस्तुत किया कि आवेदक/अभियुक्त सर्वथा निर्दोष एवं निरापराध हैं। अभियोजन पक्ष द्वारा कथित घटना बिलकुल असत्य एंव गलत तथ्यों पर आधारित है। आवेदक/अभियुक्त द्वारा किसी के घर में घुसकर, दीवार इत्यादि फांदकर चोरी नहीं की गई है और न ही आवेदक के पास से चोरी किए गए किसी सामान की बरामदगी हुई है। आवेदक के पास से पुलिस द्वारा जो भी बरामदगी दिखाई गई है वह फर्जी व गलत है। आवेदक/अभियुक्त खजूर के पत्ते एकत्र कर परिवार सहित झाडू बनाने का कार्य करता है। आवेदक/अभियुक्त दिनांक 19.05.2022 से कारागार में निरूद्ध है। घटना का कोई चक्षुदर्शी साक्षी नही है। आवेदक/अभियुक्त की कोई पूर्व आपराधिक पृष्ठभूमि नहीं है। कथित प्रकरण के सभी सह–अभियुक्तों की जमानत इस न्यायालय द्वारा स्वीकृत की जा चुकी है।

विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (दाण्डिक) ने जमानत प्रार्थनापत्र का प्रबल विरोध एवं खण्डन करते हुए तर्क प्रस्तुत किया कि आवेदक/अभियुक्त द्वारा अन्य सहअभियुक्तगण के साथ मिलकर वादी के घर में घुसकर आभूषण एव तीन लाख अस्सी हजार रुपये नकद चोरी की गई है। अतः जमानत निरस्त कर दी जाये।

जमानत प्रार्थनापत्र पर आवेदक/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (दाण्डिक) के तर्कों को सुना तथा पुलिस प्रपत्रों का परिशीलन किया।

आवेदक/अभियुक्त पर अन्य सह–अभियुक्तगण के साथ मिलकर वादी के घर में घुसकर सोने चॉदी के आभूषण एंव तीन लाख अस्सी हजार रुपये नकद चोरी करने का आरोप है। थाने की पुलिस आख्या के अनुसार अभियुक्त की जामातलाशी से मात्र 75/–रूपये बरामद होना पाया गया है तथा शेष चोरी किए गए माल को बेंचना बताया गया है। प्राथमिकी में अभियुक्त नामजद नहीं है। कथित गिरफ्तारी एवं बरामदगी का कोई स्वतंत्र साक्षी दर्शित नहीं किया गया है। अपराध मजिस्ट्रेट न्यायालय द्वारा परीक्षणीय

है। आवेदक/अभियुक्त की कोई पूर्व आपराधिक पृष्ठभूमि अभिकथित नहीं है। सह–अभियुक्तगण की जमानत इस न्यायालय से स्वीकृत हो चुकी है। आवेदक/अभियुक्त दिनांक 19.05.2022 से कारागार में निरूद्ध है।

सम्पूर्ण तथ्य, परिस्थितियों एवं अपराध की प्रकृति को दृष्टिगत रखते हुये गुण–दोष पर बिना कोई अभिमत व्यक्त किये आवेदक/अभियुक्त आलोक द्वारा प्रस्तुत जमानत प्रार्थनापत्र निम्नलिखित शर्त एवं निर्बन्धनों के अधीन स्वीकार किया जाता हैः–

सम्बन्धित विद्वान मजिस्ट्रेट के संतुष्टि पर अभियुक्त आलोक द्वारा तीस हजार रूपये का व्यक्तिगत बंधपत्र एवं समान राशि के दो उचित प्रतिभू प्रस्तुत करने पर तथा इस आशय का अण्डरटेकिंग प्रस्तुत करने पर कि–

1. अभियुक्त अपराध के विचारण में सक्रिय सहयोग करेंगा।
2. अभियुक्त किसी भी प्रकार से साक्षीगण को न तो प्रभावित करेंगा और न ही अभियोजन साक्ष्य से छेड–छाड करेंगा।
3. न्यायालय द्वारा यथानिर्दिष्ट व्यक्तिगत रूप से अथवा अधिवक्ता के माध्यम से नियत तिथि पर न्यायालय में उपस्थित रहेंगा।
4. अभियुक्त पुनः इसप्रकार के अपराध में संलिप्त नहीं होगा।

विहित शर्त एवं निर्बन्धनों में से किसी भी शर्त का अभियुक्त द्वारा उल्लंघन होने की स्थिति में अभियुक्त का बंधपत्र एवं प्रतिभूपत्र खण्डित करके नियमानुसार उसकी जमानत निरस्त करने की प्रक्रिया प्रारम्भ की जा सकेगी और अभियुक्त के विरूद्ध विधि के अधीन प्रक्रिया अनुसार कार्यवाही अग्रसारित की जा सकेगी।

दिनांकः 17.10.2022

(कमलेश कच्छल)
सेशन न्यायाधीश,
बांदा
JO Code- UP01881

Digitally signed by Kamlesh Kuchhal
Date: 2022.10.17 16:16:22 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court